Title: Need for construction of an Airport in Aimer, Rajasthan.

14.43 hrs.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हृदयस्थली में स्थित अजमेर एक प्राचीन ऐतिहासिक और पर्यटनीय महत्व का शहर है। यहां की आबादी वर्तमान में चार लाख के लगभग है। अजमेर में ही सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह तथा पास में ही प्रसिद्ध तौर्थस्थल ब्रहमा जी की पावन नगरी पुष्करराज है, जहां प्रतिवर्ष लाखों हिन्दू मुस्लिम देश विदेश से दर्शनार्थ आते हैं। स्वराज्य के प्रथम उन्नायक एवं सामाजिक जागृति के अग्रद्त महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाणस्थली भी अजमेर में हैं। जैन, सिक्ख आदि मतावलम्बियों के भी यहां महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं। अजमेर स्वाधीनता सेनानियों की भी कर्मस्थली रही हैं। राजस्थान में जब सब रियासतें थीं, तब आजादी के सेनानी अजमेर को ही केन्द्र बनाकर स्वाधीनता संग्राम में माग लेते थे।

अजमेर शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केन्द्र हैं, नहां के शिक्षण संस्थानों में देश के कोने-कोने से तथा पड़ोसी देशों से भी विद्यार्थीं आकर विद्याध्ययन करते हैं। अपनी इसी विशिष्ट स्थिति के कारण अजमेर मेरवाड़ा १९५६ तक केन्द्र शासित प्रदेश रहा है। अजमेर के नजदीक ही सुप्रसिद्ध ओद्योगिक नगरी ब्यावर, मार्बल व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध किशनगढ़ तथा व्यापारिक मंडी विजयनगर एवं सुप्रसिद्ध सैनिक छावनी नसीराबाद स्थित है। देश के प्रत्येक महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी अजमेर और पुष्कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते रहे हैं।

ऐतिहासिक, साम्प्रदायिक, सौहार्दता के प्रतीक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं मोगौलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अजमेर नगर में हवाई अहा नहीं है और इसे अमी तक देश के वायुमागों से नहीं जोड़ा गया है। राजस्थान सरकार मृिम उपलब्ध कराने को तैयार है, सिद्धान्ततः केन्द्र ने हवाई अहे की आवश्यकता को स्वीकार भी किया है। अतः भारत सरकार से प्रबल अनुरोध है कि अजमेर नगर में हवाई अहे की अविलम्ब स्थापना कर इसे देश के वायुमागों से जोड़ा जाये, जिससे अजमेर की सर्वांगीण उन्नति हो सके।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, this Matter Under Rule 377 is very important. If you kindly instruct the Minister concerned at least to communicate the stand taken by the Government, we would be grateful to you. The replies to Matters Under Rule 377 never reach us.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is done automatically. The hon. Ministers will take note of it.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): They only take note of it and there is no reply...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Priya Ranjan Dasmunsi, when Matters Under Rule 377 are raised, the Government take note of it and then they also act on it.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, you have rightly said that it is not only taken note of but also the Minister concerned replies to the Member in the form of a letter. If any Member has not received it so far, he can bring it to the attention of the House and we can reply to it...(Interruptions)

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : वहां हवाई अड्डा होना बहुत नरूरी है। हमने बार-बार सदन में यह बात उठाई है कि वहां हवाई अड्डा होना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: In the last Session, only two replies came and nothing more than that. In the BAC meeting it was recorded. No reply had come during the last Session. Hon. Members raised several issues through Matters Under Rule 377. This is for your information. Kindly speed it up.

&nbs